63

संख्या225/XVIII(II)/2012–18(82)/12

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर ।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 7 दिसम्बर, 2012

विषयः–जनपद उधमसिंहनगर के सितारगंज में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु 2.141 है0 भूमि उच्च शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–4189/सात–स0भू0अ0–2012 दिनांक–31.07.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद उधमसिंहनगर के सितारगंज में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित ग्राम सिसौना तहसील सितारगंज जनपद उधमसिंहनगर के खतौनी खाता संख्या–176 के खसरा संख्या– 624/1 रक्वा 0.721 है0,खसरा संख्या– 625/1 रक्वा 0.187 है0,खसरा संख्या–918/ 1 रक्वा 0.196 है0, खसरा संख्या– 919 रक्वा 0.069 है0, खसरा संख्या–920 रक्वा 0.970 है0 कुल रक्वा 2.143 है0 भूमि जो श्रेणी 1(क) संक्रमणीय भूमि दर्ज अभिलेख है, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–2–2002 में निहित प्राविधानों एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि जिला पंचायत के प्रबन्धन में होने के कारण इस सम्बन्ध में जिला पंचायत से भी औपचारिक अनुमोदन/सहमति प्राप्त कर लिया जाय।

8. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्ग नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0संख्या2255(1)/समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून।
5– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।